

हमने इस अध्याय में जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 14.00 करोड़ के उल्लेखित प्रकरण प्रस्तुत किए हैं जो हमारी अभिलेखों की नमूना जांच में पाए गए प्रेक्षणों से लिए गए हैं जो वेट का कम आरोपण, प्रवेश कर का कम/अन आरोपण, कर का अपवंचन, शास्ति का अनारोपण, घोषणा पत्रों पर अनियमित छूट, मुजराई की अनुचित छूट के कारण कम आरोपण, कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग आदि और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सरल समाधान योजना को लागू करने में कमी से संबंधित थे।
कर संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से ₹ 6.25 करोड़ अधिक थी।
आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य का प्राप्त न किया जाना	वर्ष के दौरान, कर्मचारी वर्ग की अनुपलब्धता के कारण विभाग द्वारा किसी इकाई की लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई गई।
हमारे वर्ष 2011-12 में निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग की 11 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की और छूट/कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय करना, कर का अन/कम आरोपण, कर योग्य पूर्ण आवर्त का गलत निर्धारण, कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग आदि के 118 प्रकरणों को पाया जिसकी राशि ₹ 9.35 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, विभाग ने सात प्रकरणों में ₹ 18.05 लाख की वसूली की जिसमें चार प्रारूप कंडिकाओं की राशि ₹ 6.61 लाख भी समाहित थी।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत करे साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करे ताकि भविष्य में हमारे द्वारा पाई गई तंत्र की कमजोरियों तथा उक्त प्रकृति की त्रुटियों को टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित कर का कम/अन आरोपण, घोषणा पत्रों पर अनियमित छूट, कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग आदि और अधिकतर उन प्रकरणों में जहाँ हमारे मत को स्वीकार किया गया है, त्वरित कार्यवाही हेतु पहल की आवश्यकता है।



## 2.1 कर प्रशासन

राज्य में व्यवसायियों के प्रकरणों के निर्धारण द्वारा मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) प्रवेश कर (प्र.क.) वृत्ति कर (व.क.) एवं विलासिता कर (वि.क.) के करारोपण एवं संग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग उत्तरदायी है। वाणिज्यिक कर विभाग राज्य के लिए राजस्व के अधिकतम भाग का योगदान करता है। विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनके अधीन बने नियमों को लागू करता है:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क.);
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (छ.ग.व.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 और
- छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम, 1988

शासन स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव होता है। विभाग का प्रमुख आयुक्त होता है और उसको अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए 4 अपर आयुक्त, 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.) और 69 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) सहायता करते हैं।

## 2.2 विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि<sup>1</sup> पर कर की वास्तविक प्राप्तियों सहित कुल कर प्राप्तियाँ निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+) आधिक्य/ (-) कमियाँ	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	3,200.00	3,023.70	(-) 176.30	(-) 5.51	5,618.08	53.82
2008-09	3,470.00	3,610.94	(+) 140.94	4.06	6,593.72	54.76
2009-10	3,447.12	3,712.16	(+) 265.04	7.69	7,123.25	52.11
2010-11	4,524.13	4,840.79	(+) 316.66	7.00	9,005.14	53.76
2011-12	6,000.00	6,006.25	(+) 6.25	0.10	10,712.25	56.07

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे)

हमने पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तावित ₹ 6,268.72 करोड़ के विरुद्ध वित्त विभाग (वि.वि.) द्वारा ₹ 6,000 करोड़ का बजट अनुमान (ब.अ.) अनुमोदित

<sup>1</sup> मुख्य शीर्ष 0040-विक्रय, व्यापार आदि पर कर (101 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 102 राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 103 मोटर स्पिरिट और स्नेहको की बिक्री पर कर, 104 बिक्री-कर पर अधिभार, 105-अपरिष्कृत तेल की बिक्री पर कर, 106 गन्ने की खरीद पर कर, 107 आवर्त कर की प्राप्तियाँ, 108 अधिनियम, 1985 के अंतर्गत किसी प्रायोजन के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकारों के अन्तरण पर कर, 109-निर्माण कार्य कर अधिनियम, 1985 के निष्पादन में सम्मिलित सम्पत्तियों के अन्तरण पर कर, 800-अन्य प्राप्तियाँ)

किया। ब.अ. का निर्धारण करने में वि.वि. सही था क्योंकि ब.अ. और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर केवल 0.10 प्रतिशत ही था।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से संग्रहण राज्य के कुल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। 2007-08 के अतिरिक्त वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से कुल राजस्व संग्रहण बजट अनुमान से अधिक रहा। राज्य की कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत, 52 और 56 के मध्य था।

### 2.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विक्रय, व्यापार पर कर (वेट और केन्द्रीय विक्रय कर सम्मिलित), प्रवेश कर और वृत्ति कर की बकाया राजस्व की राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 556.09 करोड़ थी जिसमें ₹156.53 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक का बकाया था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2007-08	156.53	183.33
2008-09	183.33	194.39
2009-10	194.39	438.57
2010-11	438.57	450.85
2011-12	450.85	556.09

(स्रोत: विभाग द्वारा दिए गए आँकड़े)

### 2.4 कर निर्धारिती का चित्रण

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या 64,393 थी जिसमें से 5,246 बड़े कर भुगतान कर्ता<sup>2</sup> एवं शेष छोटे कर भुगतान कर्ता थे। इन व्यवसायियों में से 55,539 व्यवसायियों को विवरणी भरना वांछित था और 1,04,415 विवरणी वर्ष के दौरान प्राप्त हुए। विभाग द्वारा शेष विवरणियों के संबंध में कहा गया कि व्यवसायियों को देय अग्रिम कर के साथ जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

### 2.5 प्रत्येक कर निर्धारिती पर वेट का संग्रहण

वर्ष	कर निर्धारितियों की संख्या	विभाग के अनुसार वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	वित्त लेखे के अनुसार वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	राजस्व/कर निर्धारिती (राशि ₹ में)
2007-08	59,499	2502.69	2448.27	420627.24
2008-09	63,446	2968.09	2943.67	467813.57
2009-10	69,727	3085.12	3031.15	442457.01
2010-11	58,299	4047.58	4031.50	624279.49
2011-12	64,393	5269.97	4884.97	818407.28

<sup>2</sup> बड़े कर भुगतान कर्ता वह व्यापारी हैं जिनकी वार्षिक कर देयता ₹ 60,000 से अधिक है और जिन्हें मासिक कर भुगतान करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त तालिका से यह दर्शित है कि वित्त लेखे और राज्य आँकड़ों के अनुसार वेत राजस्व में अंतर काफी अधिक है जिसका समाशोधन किया जाना आवश्यक है।

## 2.6 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष 2011-12 के अंत में लंबित प्रकरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

कर का नाम	प्रारम्भिक शेष (2011-12)	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कालम 5 से 4)
मूल्य संवर्धित कर	50,752	72,013	1,22,765	68,813	53,952	56.05
वृत्ति कर	9,642	11,328	20,970	12,080	8,890	57.61
प्रवेश कर	21,223	34,656	55,879	32,988	22,891	59.03
विलासिता कर	23	118	141	76	65	53.90
निर्माण कार्य करार पर कर	417	115	532	113	419	21.24
<b>कुल</b>	<b>82,057</b>	<b>1,18,230</b>	<b>2,00,287</b>	<b>1,14,070</b>	<b>86,217</b>	<b>56.95</b>

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 57 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

**राजस्व हित में शासन इन लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।**

## 2.7 संग्रहण की लागत

संग्रहण पर व्यय के ससंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर के संबंध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं पूर्व वर्षों के सकल संग्रहण पर किए गए व्यय निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष के सकल संग्रहण में व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009-10	3712.16	25.71	0.69	0.88
2010-11	4840.79	29.99	0.62	0.96
2011-12	6006.25	40.63	0.68	0.75

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

हमने पाया कि वर्षों के दौरान विभाग द्वारा संग्रहण पर किए गए व्यय के प्रतिशत में परिवर्तन है। वर्ष 2009-10 के मुकाबले वर्ष 2010-11 में संग्रहण की लागत घटी थी किन्तु इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि हुई। फिर भी, तीन वर्षों के दौरान जब संग्रहण की लागत की तुलना अखिल भारतीय औसत से की गई तो यह निम्नतर थी।

## 2.8 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर, प्रवेश कर, वृत्ति कर और विलासिता कर पर कर निर्धारण पूर्व स्थिति और नियमित कर निर्धारण के पश्चात् सकल संग्रहित कर के विवरण और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त पूर्व पाँच वर्षों के विवरण नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व कर निर्धारण स्थिति में संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क भुगतान में विलम्ब के लिए शास्ति	वापसी की राशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार शुद्ध संग्रहण	संग्रहण प्रतिशत में (कालम 3 से 7)
विक्रय, व्यापार पर कर, प्र.क., वृ.क. और वि.क.	2007-08	3668.63	126.97	10.44	14.55	3545.77	3545.10	103.46
	2008-09	4089.42	52.77	8.12	18.35	4046.88	4038.41	101.05
	2009-10	4691.64	190.93	87.35	57.33	4470.69	4325.16	104.94
	2010-11	5,859.41	387.55	41.78	60.15	5490.23	5355.67	106.72
	2011-12	6,329.89	618.59	18.86	62.18	6905.16	6837.80	91.67

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान कर निर्धारण पूर्व स्थिति में करों के संग्रहण का प्रतिशत निम्नतम था।

## 2.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

**2.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) की स्थिति:** वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान, हमने नि. प्र. के माध्यम से कर का कम आरोपण/अनारोपण, अव/अवसूली, अवनिर्धारण, राजस्व हानियाँ, त्रुटिपूर्ण छूट, त्रुटिपूर्ण गणना इत्यादि के 1,055 प्रकरणों में ₹ 91.84 करोड़ राजस्व सन्निहित था, को इंगित किया। इसमें से विभाग/शासन ने 206 प्रकरणों में जिसमें ₹ 3.55 करोड़ सन्निहित था, के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किये। निम्नलिखित तालिका में विस्तृत विवरण दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन के वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	10	176	0.18	97	0.11
2007-08	4	37	0.03	16	0.07
2008-09	20	185	0.62	10	0.48
2009-10	32	295	35.93	10	0.30
2010-11	28	362	55.08	73	2.59
योग		1,055	91.84	206	3.55

**2.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति:** विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कर का कम आरोपण/अनारोपण, अवनिर्धारण के प्रकरणों में राशि ₹ 74.09 करोड़ सन्निहित थी को हमारे द्वारा इंगित किया गया था। विभाग द्वारा राशि ₹ 54.33 करोड़ के प्रेक्षण मान्य किए गए जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 8 लाख की वसूली कर ली गई जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2012 तक की गई वसूली
1.	2006-07	2.11	0.24	0.08
2.	2007-08	0.74	0.32	निरंक
3.	2008-09	49.46	47.49	निरंक
4.	2009-10	3.36	3.36	निरंक
5.	2010-11	18.42	2.92	निरंक
	योग	74.09	54.33	0.08

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि मात्र 0.15 प्रतिशत वसूली ही विभाग द्वारा की जा सकी है, जो कि स्वीकार की गई राशि की तुलना में नगण्य है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग कम से कम मान्य प्रकरणों में सम्मिलित राशि की वसूली हेतु कदम उठाए, जैसा कि कार्यवाही समयरुद्ध हो जाने के कारण राजस्व की हानि का खतरा है।

## 2.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा किसी संगठन के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर का केवल एक पद स्वीकृत था। आगे, वर्ष 2011-12 के दौरान शाखा में पदस्थ एकमात्र सहायक आयुक्त का स्थानांतरण होने के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की जा सकी।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में और अधिक पदों की स्वीकृति कर शाखा को मजबूत बनाया जाए।

## 2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग की 11 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और अवनिर्धारण, कर/ब्याज/शास्ति का कम आरोपण/अनारोपण, कर की गलत दर लगाया जाना इत्यादि के ₹ 9.35 करोड़ के 118 प्रकरण पाये जिन्हें निम्नानुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	छूट/कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय	17	0.42
2	कर का अनारोपण/कम आरोपण	39	2.92
3	कर योग्य आवर्त का गलत निर्धारण	14	3.61
4	कर की त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग	4	0.17
5	अन्य अनियमितताएं	44	2.23
	योग	118	9.35

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा चालू वर्ष से संबंधित तीन प्रकरणों में ₹ 11.44 लाख की वसूली की गई।

विभाग द्वारा प्रारूप कंडिकाओं में इंगित चार प्रकरणों में ₹ 6.61 लाख की पूर्ण वसूली कर ली गई।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों, जिसमें पूर्व वर्षों में पाये गये प्रेक्षण भी शामिल है तथा राशि ₹ 14.00 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

## 2.12 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में विक्रय कर/मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.), केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के कर निर्धारण अभिलेखों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और कुछ प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, कर/शास्ति/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की दर गलत लगाया जाना, कर योग्य आवर्त पर गलत कटौती, गलत छूट और अन्य प्रकरणों पाया गया जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है। हमारे द्वारा ये प्रकरण केवल उदाहरण स्वरूप और नमूना जांच के आधार पर लिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा में इंगित की गई कुछ त्रुटियाँ जो कर निर्धारण अधिकारी से संबंधित है, किन्तु न केवल यह अनियमितताएं बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। शासन को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए जिससे ऐसी गलतियों से बचा जा सके।



## वाणिज्यिक कर अधिनियम

### 2.13 कर का अपवंचन और शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (छ.ग.वा.क.) अधिनियम, 1994 के धारा 28 के अनुसार जब इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण किया जा चुका है और इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से, किसी कालावधि के दौरान कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है या उस पर कम दर से कर निर्धारण हुआ है या उसमें से कोई कटौती गलत तौर पर की गई है या समंजन गलत दी गई है तो आयुक्त जहां गलत कर निर्धारण व्यापारी के कारण हुआ माना जा सकता है, व्यवसायी को निर्देशित कर सकता है कि व्यवसायी निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त शास्ति चुकायेगा जो उस राशि से अधिक नहीं होगी। छ.ग.वा.क.अधिनियम 1994 की अनुसूची-II के अनुसार द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) पर अवधि 2004-05 एवं 2005-06 में 9.2 प्रतिशत अधिभार सहित (कर पर 15 प्रतिशत) कर की दर आरोपणीय थी।

सहायक आयुक्त (स.अ.) रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2011) के दौरान पाया गया कि एक व्यवसायी जो एल.पी.जी.का क्रय-विक्रय करता था, की अवधि 2004-05 और 2005-06 का कर निर्धारण जनवरी 2008 और दिसम्बर 2008 में किया गया था, का सकल आवर्त ₹ 3.48 करोड़ और ₹ 3.25 करोड़ क्रमशः था। आगे कर निर्धारण अभिलेखों का 59-ए नस्ती के साथ प्रतिसत्यापन पर यह पाया गया कि व्यवसायी ने उक्त वर्षों में 59-ए<sup>3</sup> प्रपत्रों के 134<sup>4</sup> घोषणापत्रों

पर ₹ 72.75 लाख और ₹ 20.80 लाख का एल.पी.जी.आयात किया। यद्यपि व्यवसायी ने उन क्रयों को अपने लेखा पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया और संगत विक्रय जो क्रयों में दस प्रतिशत लाभ<sup>5</sup> को जोड़कर गणना की गई, को कर अपवंचन के लिए छिपाया। इससे ₹ 9.47 लाख का कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिकतम शास्ति ₹ 9.47 लाख भी आरोपणीय था (जैसा कि परिशिष्ट-2.1 में दर्शित)।

हमारे द्वारा विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने (जुलाई 2012) पर शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 13.84 लाख का मांग उठाई गई है जिसमें ₹ 4.11 लाख की वसूली कर ली गई है। 60 प्रपत्रों (2003-04 का अंतिम शेष) के निर्धारण के संबंध में यह बताया गया कि प्रकरण में जांच जारी है और आगे की कार्यवाही जानकारी प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

<sup>3</sup> घोषणापत्र 59-ए एक दस्तावेज जो कि पंजीकृत व्यवसायी को प्रांत बाहर से माल का आयात करने हेतु विभाग द्वारा जारी किया जाता है जिसपर माल भेजनेवाला और पानेवाला का नाम, जगह जहां से माल भेजा गया, गंतव्य स्थान और माल का विवरण, मात्रा और मूल्य रहता है।

<sup>4</sup> वर्ष 2004-05 के लिए आंशिक विक्रय मूल्य ₹ 42.44 लाख की गणना यह मानते हुए किया गया है कि वर्ष 2003-04 का अंतिम शेष 60 घोषणापत्रों का उपयोग वर्ष 2004-05 में किया गया और वर्ष 2003-04 में प्रत्येक घोषणापत्र के विरुद्ध क्रय किये गये क्रय के आधार पर प्रपत्र का न्यूनतम मूल्य ₹ 64,300 लिया गया है।

<sup>5</sup> लाभ = सकल लाभ (कर चुका) + परिवहन खर्च + चढ़ाव/उतार खर्च

## 2.14 घोषणापत्रों पर अनियमित छूट

शासन ने दिनांक 12.11.2001 के अधिसूचना के अन्तर्गत आयरन और स्टील के विक्रय को करारोपण से मुक्त किया जब अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा विक्रीत किया जाए और ऐसा व्यवसायी अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उक्त मालों के विक्रय के संबंध में घोषणापत्र ए-2, जो उक्त मालों का निर्माता या उत्तरवर्ती पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी हो, को प्रस्तुत करता है।

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.)- II, बिलासपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2011) में हमने यह पाया कि एक व्यवसायी जो आयरन और स्टील का निर्माण एवं क्रय-विक्रय करता था, का अवधि 2005-06 का कर निर्धारण फरवरी 2009 में किया गया, को ₹ 3.53 करोड़ के ए-2<sup>6</sup> घोषणापत्रों समर्थित विक्रय पर कर की छूट प्रदान की गई। ए-2 घोषणापत्रों की जांच में हमने पाया कि व्यवसायी ने एम.एस.राउंड और टार स्टील

अपंजीकृत व्यवसायियों को बेचा था और कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण के दौरान ए-2 घोषणापत्रों के आधार पर कर की अनुचित छूट प्रदान की। चूंकि विक्रय अपंजीकृत व्यवसायियों को किया गया था इसीलिए व्यवसायी छूट के लिए योग्य नहीं था। इससे ₹ 7.06 लाख का कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त शास्ति भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 21.18 लाख की मांग उठाई गई हैं।

## 2.15 कर समंजन की गलत स्वीकृति से कम आरोपण

छ. ग. वा. क. अधिनियम के धारा 13 के अनुसार जब कोई पंजीयत व्यवसायी अनुसूची -II में विनिर्दिष्ट मालों पर अनुसूची - III में विनिर्दिष्ट मालों को छोड़कर जो उसके हाथों कर चुका हो और पंजीयत विक्रेता द्वारा उसे विक्रीत हो अन्यथा जो करमुक्त हो, तो व्यवसायी वैसे कर चुका क्रयों पर समंजन का पात्र होगा। पुनः छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल ने प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छ.ग. विरूद्ध यूनिफ़ॉर्म रोलिंग मिल (2003) व्ही.के.एन. 583 निर्णित किया कि करमुक्त इकाइयों से क्रय किया गया माल कर चुका नहीं होता है वह समंजन प्राप्त करने के योग्य नहीं है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.- I), बिलासपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (मई 2010) कि एक व्यवसायी जो सीमेंट पोल का निर्माण एवं विक्रय करता था, की अवधि 2005-06 का कर निर्धारण अगस्त 2008 में किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 41.22 लाख का

<sup>6</sup> व्यवसायी एक घोषणापत्र ए-2, जो विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी किया जाता है, माल के विक्रय की छूट के दावे के समर्थन में अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

सीमेंट के उपभोग को कर चुका मानते हुए समंजन ₹ 2.84 लाख प्रदाय किया। आगे प्रकरण से संबंधित बिलों की जांच में यह पाया गया कि सीमेन्ट उन व्यवसायियों से क्रय किया गया था जिन्होंने मेसर्स ग्रासीम सीमेंट से क्रय किया था जो कि एक करमुक्त इकाई थी। चूंकि व्यवसायी द्वारा क्रय सीमेंट करमुक्त था अतः प्रदाय समंजन अनियमित था। अतः उपभोगित सीमेन्ट ₹ 41.22 लाख पर गलत समंजन प्रदाय करने से ₹ 2.84 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) करने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि ₹ 2.84 लाख का मांग व्यवसायी के विरुद्ध उठाई गई है (अक्टूबर 2011) और बकाया की जल्द वसूली के लिए उसका बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया गया है। आगामी वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

## 2.16 कर का कम आरोपण

छ. ग. मू. सं. क. अधिनियम के अनुसूची-II, भाग-4 के प्रविष्टि क्र.1 के अनुसार, जो वस्तुएं अनुसूची-I और इस अनुसूची के भाग-1, भाग-2 और भाग-3 में सम्मिलित नहीं है पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। केश तेल अवशिष्ट माल होने से 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। छ.ग.वेट अधिनियम के धारा 22 यह प्रावधानित करता है कि आयुक्त, जहां कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण व्यापारी की भूल के कारण हुआ है निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने अधिकतम शास्ति अधिरोपित करेगा लेकिन वह निर्धारित कर की राशि से कम नहीं होगा।

सहायक आयुक्त (स.आ.) वाणिज्यिक कर रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2010) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो नारियल तेल (केश तेल), सरसों तेल और मसालों का क्रय विक्रय करता था, का अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक का कर निर्धारण सितम्बर 2009 में किया गया, का सकल आवर्त ₹ 3.45 करोड़ था जिसमें केश तेल का आवर्त ₹ 1.39 करोड़

था। कर निर्धारण अधिकारी ने केश तेल के आवर्त पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 13.28 लाख का करारोपण किया। चूंकि केश तेल अवशिष्ट माल होने से 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है अंतर दर (12.5-4 = 8.5) 8.5 प्रतिशत से ₹ 11.39 लाख<sup>7</sup> करारोपणीय था। अतः गलत दर के अनुप्रयोग से कर ₹ 11.39 लाख का कम आरोपण फलित हुआ। इसके अतिरिक्त, शास्ति ₹ 11.39 लाख भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित किये जाने (जुलाई 2012) पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 22.78 लाख की मांग उठाई गई है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

7

₹ 139 लाख - ₹ 5.36 लाख = ₹ 134 लाख X 8.5/100 = ₹ 11.39 लाख

## 2.17 कर की कम दर का प्रयोग

राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.4.2006 से चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय मालों की सूची 'पूँजीगत वस्तुओं' के रूप में अधिसूचित किया। डीजल इंजन और उसके भाग पूँजीगत माल की सूची में शामिल नहीं है। आगे, छ.ग.वेट कर अधिनियम, 2005 के अनुसार सभी अन्य माल जो अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के भाग-1 से 3 में वर्णित नहीं है, 12.5 प्रतिशत से करारोपणीय है। डीजल इंजन अवशिष्ट माल होने से 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

में किया गया, का सकल आवर्त ₹ 28.58 लाख था जिसमें ₹ 27.10 लाख डीजल इंजन और भाग का विक्रय था। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण का कर निर्धारण करते हुए आवर्त ₹ 27.10 लाख पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 1.04 लाख का करारोपण किया और शेष विक्रय ₹ 1.48 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹ 16,000/- आरोपित किया। चूंकि डीजल इंजन और भाग पूँजीगत माल नहीं है और किसी अनुसूची में वर्णित नहीं है अतः विक्रय ₹ 27.10 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹ 3.01 लाख करारोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर करारोपण से ₹ 2.12 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर, शासन ने बताया कि ₹ 2.47 लाख का मांग जारी हुआ है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

ए.सी.ड्राइव, डी.सी.ड्राइव, प्रोग्रामिंग लाजिक कन्ट्रोलर सिस्टम और लुब्रिकेंटिक सिस्टम अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.4.2006 के अन्तर्गत अधिसूचित पूँजीगत मालों की सूची में शामिल नहीं है। छ.ग.वेट अधिनियम, 2005 के अनुसार सभी अन्य वस्तुएँ जो अनुसूची-I और अनुसूची-II के भाग-1 से 3 में वर्णित नहीं है, 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। ए.सी.ड्राइव, डी.सी.ड्राइव, प्रोग्रामिंग लाजिक कन्ट्रोलर सिस्टम और लुब्रिकेटिंग सिस्टम अवशिष्ट माल होने से 12.5 की दर से करारोपणीय है।

**2.17.1** वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) वृत्त-I, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2011) में हमने यह पाया कि एक व्यवसायी जो डीजल इंजन और उसके भाग का क्रय-विक्रय करते थे, के अवधि 2007-08 का कर निर्धारण दिसम्बर 2010

**2.17.2** सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.)-III, दुर्ग के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (जनवरी 2012) कि एक व्यवसायी जो विद्युत सामग्री यथा ए.सी. ड्राइव, डी.सी. ड्राइव, प्रोग्रामिंग लाजिक कान्दालर सिस्टम और लुब्रिकेंटिंग सिस्टम के निर्माण एवं विक्रय करता था, की अवधि 2006-07 का कर निर्धारण अक्टूबर 2009 में किया गया। कर व्यवसायी

द्वारा विक्रय ₹ 2.79 करोड़ को पूँजीगत माल मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। अतः 12.5 प्रतिशत की दर से कर

₹ 10.71 लाख के बदले ₹ 30.95 लाख आरोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर से करारोपण करने से ₹ 20.24 लाख का कम करारोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित किये जा पर (जुलाई 2012) विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि विक्रीत माल आयरन और स्टील उद्योगों के लिए मशीनरी पार्ट्स थे और अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.04.2006 के अन्तर्गत आते हैं।

हम सहमत नहीं है क्योंकि ये माल उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित पूंजीगत मालों में वर्णित नहीं हैं।

## 2.18 अनियमित आगत कर की छूट के कारण कर का अनारोपण

छ. ग. मू. सं. क. अधिनियम के धारा 8 के अनुसार, अनुसूची-II के विनिर्दिष्ट मालों पर कॉलम (3) के संगत प्रविष्टि में वर्णित दरों से करारोपण होगा। आगे अधिनियम की धारा 13 (ब) प्रावधानित करता है कि जब कोई पंजीकृत व्यापारी प्रांत के अंदर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर चुका कर कोई माल क्रय करता है और वह आगत कर की छूट का दावा करता है तो ऐसे तरीके एवं ऐसे अवधि जैसा विनिर्दिष्ट हो, प्रदाय किया जावेगा। फर्नेस आयल पर चार प्रतिशत की दर से करारोपण विहित है।

स.आ.वा.क.- II, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने यह पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवसायी जो वायर के निर्माता एवं विक्रेता थे, का अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 का कर निर्धारण फरवरी 2010 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 39.95 लाख का फर्नेस आयल क्रय किया जिसपर कर निर्धारण अधिकारी ने

₹ 1.60 लाख की आगत कर छूट चार प्रतिशत की दर से के विरुद्ध ₹ 4.99 लाख का आगत कर छूट 12.5 प्रतिशत की दर से प्रदाय किया। इसीलिए अनुमत दर से अधिक आगत कर छूट प्रदाय किये जाने से ₹ 3.40 लाख का कम आगत का आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर, विभाग ने बताया कि प्रकरण को धारा 22(1) के अन्तर्गत पुनः खोला गया और ₹ 3.40 लाख की मांग उठाई।

## केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम

### 2.19 कर का अनारोपण

के.वि.क.अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में घोषित मालों को छोड़कर अन्य वस्तुएं की बिक्री बिना 'सी' फार्म के करता है तो 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनों में से जो अधिक हो से कर देय होगी।

छ. ग. मू. सं. क. अधिनियम के अनुसूची-II के भाग-II के प्रविष्टि क्रमांक 50 के अनुसार पिसान, आटा, मैदा, सूजी, बेसन इत्यादि चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। आगे राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 15 दिनांक 30.03.2006 से 'आटा, मैदा, सूजी और बेसन' को अवधि 2006-07 के लिए करमुक्त किया न कि 'पिसान' को। आगे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स विशम्भर सहाय शीतल प्रसाद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2004 एन.टी.एन.में भी निर्णित किया कि आटा (गेहूँ पिसान) और बेसन (चना पिसान) अलग वस्तुएं हैं।

सहायक आयुक्त, संभाग- II, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (नवम्बर 2011) कि एक व्यवसायी जो तेलों, तेल बीजों और सोया पिसान के निर्माण एवं बिक्री करता था, का अवधि 2006-07 का कर निर्धारण जून 2010 में किया गया। व्यवसायी का सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय ₹ 17.42 करोड़ का था जिसमें बिना 'सी' फार्म<sup>8</sup> सोया पिसान की विक्रय ₹ 15.55 करोड़ था। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त को 'आटा' मानते हुए छूट प्रदान की। चूंकि पिसान उक्त अधिसूचना से

करमुक्त नहीं था और आटा से भिन्न था, अतः 10 प्रतिशत की दर से ₹ 1.55 करोड़ कर आरोपणीय था। इससे ₹ 1.55 करोड़ कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिकतम शास्ति ₹ 3.11 करोड़ भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि ₹ 4.66 करोड़ (शास्ति ₹ 3.11 करोड़ सहित) की मांग उठाई गई। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

<sup>8</sup>

सी फार्म एक घोषणा पत्र जो विभाग द्वारा पंजीकृत व्यवसायी को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रांत बाहर से रियायती दर पर मालों के आयात के लिये प्रदाय किया जाता है।

## प्रवेश कर अधिनियम

### 2.20 प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क. अधिनियम) के धारा 3(1)(ए) के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मालों के प्रवेश पर, उसके उपभोग, उपयोग या बिक्री पर प्रवेश कर का आरोपण होगा। अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 53 प्रावधानित करता है 'सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों जो अन्य जगह विनिर्दिष्ट न हो' पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। मोबाइल हैंडसेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक माल है और अनुसूची में कहीं भी विनिर्दिष्ट नहीं है अतः प्रविष्टि क्रमांक 53 के अनुसार करारोपणीय है। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स ड्राइव इंडिया डॉट काम विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य और अन्य 2011 (19) एस.टी.जे.में निर्णित किया कि मोबाइल हैंडसेट वायरलेस रिसेप्शन यंत्र के अन्तर्गत शामिल है यथाक्रम, यह प्रविष्टि 53 में भी शामिल किया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है।

सहायक आयुक्त (स.आ.)-II, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (नवम्बर 2011) कि एक व्यवसायी जो मोबाइल हैंडसेट के क्रय-विक्रय करता था, की अवधि 2006-07 का कर निर्धारण जून 2010 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 124.28 करोड़ मूल्य का मोबाइल हैंडसेट शाखा अंतरण से प्राप्त किया जिसपर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की अनुसूची-III की वस्तु मानते हुए प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया। हालाँकि मोबाइल हैंडसेट

इलेक्ट्रॉनिक माल है और अधिनियम के प्रविष्टि क्रमांक 53 के अनुसार करारोपणीय है। इसीलिए ₹ 124.28 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 1.24 करोड़ का प्रवेश कर आरोपणीय था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से प्रवेश कर ₹ 1.24 करोड़ का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने सभी संभागों को एक परिपत्र जारी किया (अक्टूबर 2012) जिसमें उनको निर्देशित किया गया कि मोबाइल हैंडसेट पर प्रवेश कर की जांच करें एवं एक प्रतिशत की दर से करारोपण करें जहां करारोपण नहीं हुआ है। आगे वसूली की जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

## 2.21 कर का अनारोपण

छ.ग.प्र.क. अधिनियम के धारा 3 के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न कि बिक्री पर। उक्त अधिनियम के अनुसूची-III के अनुसार राइस ब्रान दिनांक 4.9.2004 में 2 प्रतिशत से करारोपणीय है जब छत्तीसगढ़ के बाहर से आयातित हो।

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.) राजनांदगांव के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवसायी जो राइस ब्रान और खाद्य तेल के निर्माण एवं बिक्री करता था, की अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2006 का कर निर्धारण

जनवरी 2008 और जुलाई 2009 में किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2004-05 में कुल क्रय ₹ 42.16 करोड़ में से ₹ 3.83 करोड़ और वर्ष 2005-06 में कुल क्रय ₹ 27.91 करोड़ में से ₹ 24.84 लाख की गलत छूट उत्पादन के प्रारम्भ होने के पूर्व मालों के क्रय के आधार पर प्रदान किया। साथ ही क्रय ₹ 1.95 करोड़ का अव निर्धारण भी था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फरवरी 2009 में वर्ष 2005-06 के एकपक्षीय निर्धारण के दौरान व्यवसायी का सकल क्रय ₹ 29.86 करोड़ निर्धारित किया गया, को बिना कोई कारण उल्लेखित किये, विचार नहीं किया गया। इसीलिए वर्ष 2004-05 (₹ 3.83 करोड़) और 2005-06 (₹ 24.84 लाख) प्रदाय और वर्ष 2005-06 छूट ₹ 4.08 करोड़ के दौरान कुल क्रय (₹ 1.95 करोड़) की कमी अनियमित थी। इससे ₹ 8.31 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ (जैसा कि परिशिष्ट-2.2 में दर्शित)। इसके अतिरिक्त शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा विभाग और शासन को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 24.15 लाख का मांग जारी हुआ है। वसूली पर जानकारी अप्राप्त है (दिसम्बर 2012)।

## 2.22 अनियमित छूट से प्रवेश कर का अनारोपण

छ.ग.प्र.क. अधिनियम के धारा 3 के अनुसार अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मालों पर स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या बिक्री पर प्रवेश कर देय है। अधिनियम की अनुसूची-II की प्रविष्टि क्रमांक 31 यह विहित करती है कि सभी प्रकार के सेनेटरी माल एवम् फिटिंग्स पर कर की दर एक प्रतिशत है। आगे, प्रकरण मेसर्स महेश इंटरप्राइजेज विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (2000) 119 एस.टी.सी.578 (ए.पी.) में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि कास्ट आयरन पाइप्स और फिटिंग्स कास्ट आयरन से अलग है और घोषित माल नहीं है इसीलिए प्रविष्टि 'वाटर सप्लाइ और सेनेटरी फिटिंग्स' में सम्मिलित है।

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर-II, दुर्ग के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (दिसम्बर 2010) कि एक व्यवसायी जो कास्ट आयरन पाइप्स और फिटिंग्स के क्रय-विक्रय करते थे, की अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 का कर निर्धारण



नवम्बर 2009 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 3.49 करोड़ का सी.आई. पाइप्स क्रय किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त क्रय सी.आई. पाइप्स को आयरन और स्टील एवं अनुसूची-III के अन्तर्गत मानते हुए कमी प्रदान की। चूंकि सी.आई. पाइप्स और फिटिंग्स उक्त निर्णय के अनुसार 'सभी प्रकार के सेनेटरी माल और फिटिंग्स' के अनुसूची-II के अन्तर्गत आते हैं। अतः प्रवेश कर ₹ 3.49 लाख एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची के प्रविष्टि का सत्यापन करने में असफल होने से ₹ 3.49 लाख की प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित (जुलाई 2012) किये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2012) कि अनुसूची-II के अन्तर्गत 'सभी प्रकार के सेनेटरी माल एवं फिटिंग्स की प्रविष्टि नहीं है' इसीलिए यह अनुसूची- III के अन्तर्गत आता है अतः कर का आरोपण नहीं किया गया।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि अनुसूची में सभी प्रकार के सेनेटरी माल एवं फिटिंग्स की विशेष प्रविष्टि है।

## 2.23 छत्तीसगढ़ बकाया राशि सरल समाधान योजना 2010

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976, छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम 1988 और छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम 1995 के अन्तर्गत बकाया राशि<sup>9</sup> के निपटारा करने के लिए छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना 2010, नवम्बर 2010 में लागू की। बकाया प्रकरणों का निराकरण बकाया राशि के 60 प्रतिशत के भुगतान पर किया जाना था। कोई बकायादार जो योजना के अन्तर्गत लाभ इच्छुक थे, को 31 जनवरी 2011 तक दो प्रतियों में आवेदन पत्र जमा करना और स्वीकृत समाधान राशि<sup>10</sup> को सूचना के प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर जमा करना आवश्यक था।

समाधानकर्ता द्वारा जारी किये गये समाधान प्रमाण पत्र (प्रारूप-3) के उपवाक्य 4 के अनुसार बकायादार के विरुद्ध कोई भी अपराध/त्रुटि के लिए संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी और बकायादार के विरुद्ध कोई भी शास्ति आरोपित नहीं की जावेगी। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स विकास इंटरप्राइजेज विरुद्ध सहायक आयुक्त (मार्च 2007) में निर्णित किया कि बकायादार के विरुद्ध कोई अपराध/त्रुटि के लिए संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कोई शास्ति आरोपित नहीं की जावेगी और कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जावेगी चूंकि योजना के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण किया गया और प्रार्थी के पक्ष में समाधान प्रमाण पत्र जारी किये गये।

<sup>9</sup> बकाया राशि का विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत करें, ब्याज एवं शास्ति का बकाया जो कर निर्धारण अवधि 31 मार्च 2006 तक संबंधित हो और 31 अक्टूबर 2010 को लंबित हो।

<sup>10</sup> समाधान राशि का तात्पर्य सरल समाधान योजना 2010 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों का बकाया निर्धारण एवं भुगतान (बकाया राशि का 60 प्रतिशत)।

विभाग ने 9507 बकायादारों को कुल ₹ 15.66 करोड़ का लाभ राज्य में प्रदाय किया। हमने आठ इकाईयों<sup>11</sup> में 102 बकायादारों के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि उन बकायादारों को योजना के अन्तर्गत ₹ 8.05 करोड़ का लाभ प्रदान किया गया। 102 बकायादारों में से शीर्ष दस लाभार्थी, जिनको कुल लाभ (₹ 15.66 करोड़) का 25 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुआ, नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ लाखों में)

स. क्र.	बकायादारों का नाम	बकाया राशि	समाधान राशि
1	मेसर्स लार्सन और टुब्रो लिमिटेड	242.75	33.18
2	मेसर्स बुधिया आटो	209.37	62.62
3	मेसर्स रघुवीर फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड	116.71	54.49
4	मेसर्स कक्कड़ आटो	88.34	53.00
5	मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड	81.60	48.96
6	मेसर्स हाई-टेक एब्रासिव लिमिटेड	81.29	44.19
7	मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन कंपनी लिमिटेड	76.64	45.99
8	मेसर्स बोटल्दा ट्रेक्टर्स	48.24	11.46
9	मेसर्स किचन एप्लायन्सेज	43.01	25.80
10	मेसर्स ए.सी.सी.लिमिटेड (पावर प्लांट)	42.54	18.38
	<b>कुल</b>	<b>1030.49</b>	<b>398.07</b>

योजना के अनुपालन से संबंधित अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि नमूना जांच के 102 प्रकरणों में से 96 में कुछ अनियमितताएं थी जो कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

<sup>11</sup> तीन अपर आयुक्त और पांच उपायुक्त कार्यालय

### 2.23.1 बकाया राशि की गणना में शास्ति राशि को सम्मिलित न करना

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010 के नियम 2(3) के अनुसार बकायादार को दिनांक 31.10.2010 के बकाया राशि का 40 प्रतिशत के छूट प्राप्त होगा और बकाया राशि का शेष 60 प्रतिशत समाधान राशि के रूप में भुगतान करना होगा। आगे, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010, के नियम 2(3)(च) के अनुसार, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत शास्ति एवं ब्याज के सभी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम इत्यादि के धारा 32(9) के अनुसार यदि उस पर निर्धारित किए गए कर का या उस पर अधिरोपित की गई शास्ति का या उससे शोध्य अन्य रकम का भुगतान विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर नहीं करता है तो वह बकाया कर शास्ति या अन्य रकम के दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति का भुगतान का दायी होगा।

रायपुर संभाग के तीन अपर आयुक्त और दो उपायुक्त बिलासपुर संभाग के दो उपायुक्त एवम् दुर्ग संभाग के एक उपायुक्त के सरल समाधान के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (जून 2012) कि 88 बकायादारों जिनका कर निर्धारण अवधि 1991-92 से 2005-06 से संबंधित कुल बकाया ₹ 15.99 करोड़ था ने बकाया राशि के निपटारे हेतु योजना की सुविधा प्राप्त की। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर जमा करने

का मांग पत्र/राजस्व वसूली प्रमाण पत्र/अपील आदेश जून 1995 से अक्टूबर 2010 के मध्य निर्धारण किये गये थे। इन बकायादारों ने कर की राशि विनिर्दिष्ट समय में जमा नहीं किया और कर के भुगतान में विलंब 12 से 5602 दिनों के मध्य था। इसके बावजूद समाधानकर्ता अधिकारियों ने 31.10.2010 तक शास्ति का विचार किये बिना बकाया राशि की गणना की। अतः समाधानकर्ता अधिकारियों द्वारा शास्ति को बकाया राशि में शामिल करने में असफल होने से समाधान राशि ₹ 5.25 करोड़ (₹ 8.76 करोड़ का 60 प्रतिशत) की कम वसूली हुई (जैसा कि **परिशिष्ट-2.3** में दर्शित है)।

### 2.23.2 समाधान राशि के कम आरोपण से राजस्व हानि

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010 के नियम 2(3)(ख) के अनुसार, अपील, द्वितीय अपील अथवा निगरानी में बकायादार के द्वारा जो आंशिक भुगतान किया गया है उसे भी कुल बकाया राशि में समायोजित कर भुगतान की गई राशि मानकर गणना की जावेगी।

रायपुर के तीन अपर आयुक्तों एवं दो उपायुक्त और बिलासपुर संभाग के एक उपायुक्त के सरल समाधान अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2012) में हमने पाया कि 41 बकायादारों जिनकी बकाया राशि ₹ 9.85 करोड़ थी, ने योजना का लाभ लिया।

बकायादारों ने प्रथम/द्वितीय अपील में ₹ 3.35 करोड़ का आंशिक भुगतान किया। उक्त नियमानुसार, भुगतान राशि को केवल बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित करना था। इसके बावजूद भी, अभिलेखों के जांच में पाया गया कि समाधानकर्ता प्राधिकारियों ने प्रथम/द्वितीय अपील के आंशिक भुगतान ₹ 3.35 करोड़ को बकाया राशि ₹ 9.85 करोड़ के बदले समाधान राशि (जो कि समाधानकर्ता प्राधिकारियों द्वारा गणना की गई) ₹ 5.89 करोड़ में समायोजित किया। इसीलिए अपील राशि के आंशिक भुगतान को समाधान राशि में समायोजन किये जाने से ₹ 1.35 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट-2.4** में दर्शित है) की कम वसूली हुई।

### 2.23.3 समाधान राशि के भुगतान में विलंब

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान नियम 2010 के नियम 6 एवं 9(4) के अनुसार बकायादार को प्रारूप-2 के प्राप्ति दिनांक के 15 दिनों के अंदर समाधान राशि जमा करनी होगी, असफल होने पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स डी.एम.वुलेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग और अन्य (मार्च 2005) में निर्णित किया कि कर निर्धारिती जो योजना के अन्तर्गत लाभ का दावा करता है, को समाधान राशि को 15 दिनों के भीतर भुगतान शर्तें का पालन करने के लिए बाध्यकारी है। समाधान राशि को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में असफल होने पर योजना का लाभ नहीं हो सकता। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मेसर्स विकास इंटरप्राइजेज विरुद्ध सहायक आयुक्त के प्रकरण में (मार्च 2007) निर्णित किया कि बकायादार के विरुद्ध कोई अपराध/त्रुटि के लिए संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कोई शास्ति और कार्यवाही नहीं की जा सकती, चूंकि योजना के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण किया गया और प्रार्थी के पक्ष में समाधान प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

रायपुर संभाग के दो अपर आयुक्त के सरल समाधान अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (जून 2012) कि बकाया राशि के दो प्रकरणों में बकाया राशि ₹ 1.11 करोड़ थी। समाधानकर्ता प्राधिकारी ने ₹ 44.26 लाख की छूट प्रदाय करते हुए ₹ 66.38 लाख की समाधान राशि निर्धारित की। आगे अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि बकायादारों ने समाधान राशि, प्रारूप-दो<sup>12</sup> की प्राप्ति के 15 दिनों की स्वीकृत अवधि के पश्चात् 6 से लेकर 28 दिनों के विलंब से

जमा किया। चूंकि बकायादारों ने समाधान राशि को समय से जमा नहीं किया था, अतः उनको उक्त योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। इसीलिए स्वीकृत समय-सीमा के अंदर भुगतान में असफल रहने के कारण ₹ 44.26 लाख (जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में प्रदर्शित) की हानि हुई।

<sup>12</sup> प्रारूप 2- एक प्रपत्र जिसमें समाधानकर्ता द्वारा समाधान राशि की गणना की जाती है और संबंधित बकायादार को समाधान राशि जमा करने के लिए जारी किया जाता है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग/शासन (जुलाई 2012) पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि मेसर्स विकास इंटरप्राइजेज विरुद्ध सहायक आयुक्त के प्रकरण में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार, प्रार्थी के पक्ष में समाधान प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात कोई शास्ति/कार्यवाही नहीं की जा सकती।

चूँकि विभाग माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत था अतः योजना के अन्तर्गत राजस्व हानि को रोकने के लिए प्रकरणों के निराकरण के दौरान सभी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए थी।

### 2.23.4 वापसी समायोजन आदेश का समाधान राशि में गलत समायोजन

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम 2010 नियम के अनुसार, बकायादार के किसी भी आंशिक भुगतान को कर भुगतान की राशि मानकर बकाया राशि में समायोजित की जायेगी।

रायपुर संभाग के अपर आयुक्त के सरल समाधान अभिलेखों की जांच (जून 2012) में हमने पाया कि एक बकायादार के प्रकरण में बकाया राशि ₹ 14.97 लाख का समाधानकर्ता प्राधिकारी ने समाधान राशि ₹ 8.98 लाख निर्धारित किया। अभिलेखों के जांच में आगे पाया गया कि वापसी समायोजन आदेश की राशि को वापसी

राशि पर विचार किये बिना, कुल बकाया राशि के 60 प्रतिशत में समायोजित किया गया। इसे पहले कुल बकाया राशि से घटाया जाना चाहिए था और शेष बकाया राशि (वापसी समायोजन आदेश के समायोजन के बाद) का 60 प्रतिशत जमा कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। समाधानकर्ता प्राधिकारी ने वापसी ₹ 6.80 लाख को बकाया राशि के बदले समाधान राशि से समायोजन किया। अतः वापसी समायोजन आदेश के गलत समायोजन से ₹ 2.72 लाख का कम वसूली हुई।

हमने विभाग/शासन को उनके टिप्पणी के लिए इंगित किया (जुलाई 2012); उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2012)।

### 2.23.5 निष्कर्ष

चूँकि योजना के विहित प्रावधानों के अनुसार, समाधान प्रमाणपत्रों के जारी होने के पश्चात् प्रकरणों को पुनः खोला नहीं जा सकता है, इसलिए यह अपेक्षित था कि समाधानकर्ता प्राधिकारियों द्वारा समाधान राशि की गणना के समय आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए थी। शास्ति का सम्मिलित न करना, समाधान राशि का कम आरोपण, लाभ का अनियमित विस्तार और वापसी समायोजन आदेश का गलत समायोजन जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में इंगित है, कर निर्धारण प्राधिकारियों के पर्याप्त सावधानी के अभाव का सूचक हैं जिससे राजकोष की प्रत्यक्ष हानि हुई।